लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/90/2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 22.09.2020

श्री श्यामलाल टेलर पिता श्री रामचन्द्र टेलर निवासी सदर बाजार, भादसोड़ा

बनाम

लोक. सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 20.10.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन कमांक 1777 दिनांक 22.07.2020 को रजिस्टर्ड ए. डी. से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 90/2020/(20.10)/629 दिनांक 23.09.2020 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 20.10.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 20.10.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने पत्रांक 1799 दिनांक 20.10.2020 से स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा कि उसके द्वारा आवेदन कमांक 1777 दिनांक से 4 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई जो उसे आदिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः बिन्दु

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाईज पहले अपीलार्थी का बिन्दु टंकण करावें एवं बाद में उत्तर एवं दस्तावेज संलग्न करावें। अतः महत्त्वपूर्ण निर्णय पारित करा चाहे गये दस्तावेज दिलाने की कृपा करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2020 / 392 दिनांक 14.10.2020 से कमेन्ट्स प्रेषित किए जो इस प्रकार हैः—

1. यह कि प्रार्थी श्री श्याम लाल टेलर पिता रामचन्द्र टेलर निवासी भादसोड़ा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2020 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 24.07.2020 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2020 / 2371 दिनांक 27.01.2020 को कुल किता 06 उपलब्ध कराई तथा प्रार्थी द्वारा पुनः अभिलेखों का अवलोकन करने पर चिन्हित की गई सूचना तैयार कर कुल किता 72 के दिनांक 04.03.2020 को उपलब्ध कराई गई है। पत्र की प्रति संलग्न है।
3. यह कि प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2020 को प्रस्तुत किया इसी संबंध में प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी दिनांक 23.12.2019 को आवेदन प्रस्तुत किया जिसके संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2020 / 2371 दिनांक 27.01.2020 को सूचना उपलब्ध कराई गई है दोनों प्रार्थना पत्रों पर चाही गई सूचना समान प्रकृति की है। पत्र की प्रति संलग्न है।
4. प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.12.2019 को प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर में अपील प्रस्तुत की है जिस पर सुनवाई हेतु अपील सं. 108230 / 2020 में दिनांक 26.02.2021 की पेशी नियत है। सूचना आयोग के पत्र एवं अपील मेमों की प्रति संलग्न है।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. यह कि प्रार्थी द्वारा चाही जाने वाली सूचना को चिन्हित किये जाने के उपरान्त प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई गई है, जिससे अब इस प्रकरण से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है।

6. यह कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.12.2019 को प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में सूचना आयोग, जयपुर में तथा दिनांक 22.07.2020 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में श्रीमान के न्यायालय में अपील प्रस्तु की है जबकि प्रार्थी को उक्त दोनो प्रार्थना पत्र के संबंध में इस कार्यालय द्वारा वांछित सूचना दिनांक 27.01.2020 को कुल किता 6 एवं दिनांक 04.03.2020 को कुल किता 72 के सूचना उपलब्ध करा दी गई है, इसके उपरान्त भी प्रार्थी को अपूर्ण सूचना प्राप्त हुई हो तो प्रार्थी द्वारा पुनः अभिलेखों का परीक्षण कर चाही जाने वाली सूचना को चिन्हित करने पर वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा सकेगी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, जवाब एवं लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/392 दिनांक 14.10.2020 से प्रेषित कमेन्ट्स एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 22.07.2020 से, दिनांक 27.01.2020 को किता 06 एवं दिनांक 04.03.2020 किता 72 पृष्ठ की सूचना उपलब्ध कराया जाना बताया है किन्तु अपीलार्थी द्वारा पुनः दिनांक 22.07.2020 को नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत कर सूचना/प्रमाणित प्रतियां चाही गई है जो उसे उपलब्ध कराया जाना नहीं पाया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.07.2020 से चार बिन्दुओं में निम्नांकित सूचना चाही गई हैः- बिन्दु संख्या 1 में उक्त खसरों में जिन² व्यक्तियों को अवार्ड पारित किया उक्त अवार्ड की प्रमाणित प्रतियां क्रम वाईज सूचीवार बनाकर अवार्ड की प्रतियां उपलब्ध करावें। बिन्दु संख्या 2 में उक्त खसरों में भूमि मालिक कौन² रहे उनका नाम पद

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पता जारी अवार्ड राशि प्रत्येक भूमि मालिक को जारी अवार्ड राशि की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें। बिन्दु संख्या 3 से उक्त खसरों मे जो भूमि मालिक रहे उनकी भूमि अवाप्ति में कितनी[2] गई, उसकी प्रमाणित प्रतियां प्रत्येक भूमिधारी की भूमि का ब्यौरा सहित प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें तथा बिन्दु संख्या 4 में उक्त खसरा क्रमांकों में किन–किन को अवार्ड जारी किया गया प्रत्येक की अवार्ड राशि सहित प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी के आवेदन क्रमांक 1777 दिनांक 22.07.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त चारों बिन्दुओं में प्रश्नात्मक तथा सृजनात्मक सूचनाऐं चाही गई है यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक/प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 अनुसार **"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।"**

इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में मात्र खसरा नम्बरों का अंकन कर देने से ही संबंधित खसरों के जारी अवार्ड की सूचना तैयार किया जाना सम्भव नहीं है। अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को उक्त जारी खसरों के अवार्ड के मिसल/प्रकरण संख्या, निर्णय दिनांक आदि से अवगत नहीं कराया है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि या तो वह उसके द्वारा चाही गई सूचना का स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण यथा प्रकरण संख्या, निर्णय दिनांक, अवार्ड दिनांक आदि का विवरण उपलब्ध करावे अथवा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यालय में उपस्थित होकर रेकार्ड / चाही गई सूचना का अवलोकन कर बाद अवलोकन, चाही जाने वाली सूचनाओं को चिन्हित कर लोक सूचना अधिकारी को अवगत करावें। साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को भी निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का विवरण उपलब्ध कराने अथवा सूचना चिन्हित करने पर उसे वांछित सूचना अविलम्ब निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

(के. के. शर्मा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./90/2020(सू.अ.)/ 688 दिनांकः– 20 / 10 / 2020

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री श्यामलाल पिता श्री रामचन्द्र टेलर निवासी सदर बाजार, मु. पो. भादसोड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official